

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी.)

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी.
	<p>बकुलाय फरीकेन उप। धीरम डी. ए. राज कायं पत्रावली दिनांक 31-18 तमस पेश हो।</p>
<p>8/11/18</p>	<p>पत्रावली मय डी. ए. राज कायं 26-12-18 को</p>
<p>26/12</p>	<p>वाफा खरिआदेश कीपालन होकर फा. अ. 4-4-18 को पेश हो।</p>
<p>9/1/19</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। बकुलाय फरीकेन उप। आइन्दा पत्रावली कोर्ट/लोक अदालत में दिनांक 30-5-18 को पेश हो।</p>
<p>30/5/19</p>	<p>पत्रावली कोर्ट में पेश हुई। पत्रावली का खरिआदेश किया (पत्रावली का 2000 रु के तमबी में विचारधीन है) वादी का खरिआदेश द्वारा 100-2 का खरिआदेश जारी के बाद भी तमबी का खरिआदेश नहीं किया है। तमबी पत्रावली में Complaint में खरिआदेश की जाती है पत्रावली कोर्ट में खरिआदेश जमा कर ले कर ले तथा वादी तमबी ले कर खरिआदेश हो।</p>